न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 141/2024 सुमन पटेल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-5-2025	प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 232/36, 469/3, 590/55, 591/55 98/1 एवं ग्राम देवनगर तहसील लूणी, के खसरा नंबर 325, 375 की पेतृक, कब्जाकाश्त एवं सहखातेदारी कृषि भूमि आई हुई है जो कि अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है। ग्राम मोगड़ा कल्ला के ख.न. 232/36, 469/3, 590/55, 591/55 98/1 एवं ग्राम देवनगर के ख. नं 325, 375 की कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम लिपिकीय त्रुटि के कारण कमशः लीला एवं लीलादेवी दर्ज किया गया जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक पहचान का नाम सुमन पटेल पुत्री बुधाराम है। प्रार्थीया का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम सुमन पटेल है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में लीला व लीला देवी के स्थान पर सुमन पटेल दर्ज करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/725 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1314 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार मोगड़ा कल्ला के खसरा नम्बर 232/36, 469/3, 590/55, 591/55 98/1 में खातेदार लीला पुत्री बुधाराम का हिस्सा 1/20 जाति पटेल सा. देह वगैरा शेष बदस्तूर जमाबंदी दर्ज है। ग्राम मोगड़ा कल्ला के नामान्तकरण संख्या 1564 के जरिये बुधाराम के फौत के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें लीला पुत्री बुधाराम दर्ज है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया को उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है जिसमें वह सहखातेदार व कब्जाकाश्त है। नामान्तकरण संख्या 1564 के जरिये बुधाराम के फौत के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें लीला पुत्री बुधाराम दर्ज है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थीया का नाम लीला पुत्री बुधाराम के स्थान पर सुमन पटेल पुत्री बुधाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम सुमन पटेल पुत्री बुधाराम है। प्रार्थीया की ओर से अपनी अन्य कृषि भूमि ग्राम सोनाईलाखा तहसील रोहठ जिला पाली के खसरा नंबर 396/2 पेश की गई जिसमें सही नाम सुमन पटेल पुत्री बुधाराम दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मोगड़ा कल्ला के खसरा नम्बर 232/36, 469/3, 590/55, 591/55 98/1 एवं ग्राम देवनगर के खसरा नंबर 325, 375 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम लीला उर्फ लीला देवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर लीला उर्फ सुमन पटेल पुत्री बुधाराम रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	